

भाग-4

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम बागडपुर तहसील गढमुक्तेश्वर के खसरा संख्यास-1643 राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी० 92.068 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2544 हे० संरक्षित वनभूमि एवं विभिन्न प्रजातियों के 29 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/139274/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3584/81-2-2023-800(231)/2023 दिनांक 29 सितम्बर 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 29-09-2023 18:08:51

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-3584/81-2-2023-800(231)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 29 सितम्बर, 2023

विषय- जनपद हापुड के अन्तर्गत ग्राम बागडपुर तहसील गढमुक्तेश्वर के खसरा संख्यास-1643 राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी 92.068 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि० द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2544 हे० संरक्षित वनभूमि एवं विभिन्न प्रजातियों के 29 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/139274/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-487/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/139274/2021 दिनांक 25.08.2023 एवं पत्र संख्या-838/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/139274/2021 दिनांक 26.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हापुड के अन्तर्गत ग्राम बागडपुर तहसील गढमुक्तेश्वर के खसरा संख्यास-1643 राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी 92.068 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि० द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2544 हे० संरक्षित वनभूमि एवं विभिन्न प्रजातियों के 29 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 29-09-2023 18:08:27

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग हापुड।
4. प्रबन्धक रिटेल हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि० मेरठ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।